



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को कुल 21 हजार 200 रुपये कारावास व जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को कुल 21 हजार 200 रुपये कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है -

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 249/12 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त आजाद पुत्र रमजानी निवासी लोहा का पुरवा नवाब टैंक थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 183/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र जमुना प्रसाद निवासी स्योढ़ा थाना गिरवां जनपद बांदा को 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 10 हजार के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना चिल्ला में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 105/23 धारा 11(घ) पशुकूरता अधिनियम व 56(सी) द पशु ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स के 03 अभियुक्तों 1-सोनू पुत्र जयसिंह निवासी संजारपुर कैडवा थाना सिंघावली अहिर जनपद बागपत, 2-नफीस पुत्र जुनैद निवासी लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा व 3- मुस्ताक पुत्र मदी निवासी कुरही थाना बिसंडा जनपद बांदा को कुल 1200 रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया।